राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 23.01.2015 को सूडा सभागार में अपराहन 03:30 बजे आयोजित "पंचम" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2015 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, सूडा।
2. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
3. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
4. डा0 रीना सिंह, सहायक निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ।
5. श्री यतीन्द्र मोहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सुश्री वन्दना राज, ए0पी0ओ0, प्लानिंग डिपार्टमेंट।
7. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, डीजीएम हडको, लखनऊ।
8. श्री अरूण कुमार राणा, सहायक महाप्रबन्धक, हडको, लखनऊ।
9. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. श्री शीलधर सिंह यादव, नगर आयुक्त, बरेली।
11. श्री संजय कुमार, नगर आयुक्त मुरादाबाद।
12. श्री आर0वी0 सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, गोरखपुर।
13. श्री आर0 के0 कौशिक, पी0ओ0 डूडा, सहारनपुर।
14. श्री अनीता वरूण, ई0ओ0 शामली।
15. श्री दीपक कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा शामली।
16. श्री विद्यासागर यादव, ई0ओ0 नगर पालिका परिषद, मऊ।
17. श्री बृजभूषण यादव, परियोजना अधिकारी, मऊ।
18. श्री सुधाकर पाण्डेय, सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा– गोण्डा।
19. श्री वी0एस0 शुक्ला, परियोजना अधिकारी, गोण्डा।
20. श्री आर0 वी0 राम सी0एण्ड डी0एस0।
21. श्री सुभाषवीर सिंह राजपूत, परियोजना अधिकारी, डूडा–मथुरा।
22. श्री विजया तिवारी, परियोजना अधिकारी डूडा– बाराबंकी।
23. मो0 इरफान, आर्कडियम एसोसिएट, आर्किटेक्ट, नई दिल्ली।
24. श्री ए0के0 वर्मा, सी0एण्ड डी0एस0 बरेली।
25. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
26. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, अधि0 अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोण्डा।
27. श्री एस0के0 गौतम, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चन्दौसी।
28. श्री एम0एम0 सिद्धिकी, परि0 प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–18, मुरादाबाद।
29. श्री देवेश कुमार त्रिपाठी, सी0एण्ड डी0एस0 ।
30. श्री वैभव श्रीवास्तव, ग्राउण्ड स्क्वायर

31. ए0एम0 खान, परियोजना अधिकारी, बुलन्दशहर।
32. श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
33. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, सी0एण्ड डी0एस0 लखनऊ।
34. श्री के0एस0 परिहार, परियोजना अधिकारी, वाराणसी।
35. श्री तेज कुमार, परियोजना अधिकारी, गोरखपुर।
36. श्री प्रशान्त मिश्रा, परियोजना अधिकारी, रायबरेली।
37. श्री ए0सी0 तिवारी, परियोजना अधिकारी, डूडा– बरेली।
38. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
39. श्री मो0 तैयब, परामर्शी, सूड़ा, लखनऊ।
40. श्री वी0एन0 त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ0प्र0।
41. श्री के0 एन0 शुक्ला, लिपिक, सूडा।

2. परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि ''शहरी बेघरों के लिए आश्रय'' योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में सघन समीक्षा की जा रही है। विगत 12.12.14 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत प्रकरण पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2984/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक– 26.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जनपदों/शहरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अप्रेजल हेतु गठित ''एप्रेजल समिति'' द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर							
	i) दारा अली की चुगी	नया निर्माण	54	155.49	155.04	29.94	184.98	G+2
	ii) दुधली रोड	नया निर्माण	54	147.41	148.42	29.94	178.36	G+2
	योग	2 नया निर्माण	108	302.9	30346	59.88	363.34	
2	सिद्धार्थनगर	नया निर्माण	50	101.52	112.21	30.00	142.21	G+2
3	गोण्डा	नया निर्माण	60	171.03	170.87	29.94	200.81	G+1
4	मऊ	नया निर्माण	50	159.34	151.01	30.00	181.01	G+1
5	मथुरा	नया निर्माण	100	345.25	208.20	29.94	238.14	G+2
6	शामली	उच्च निर्माण	50	34.99	36.84	29.94	66.78	प्रथम तल

7	रायबरेली	नया निर्माण	50	100.27	137.10	29.94	167.04	G+2
8	बुलंदशहर	नया निर्माण	100	310.79	233.24	30.00	263.24	G+2
9	महोबा	नया निर्माण	50	175.51	175.01	29.94	204.95	G+1
10	प्रतापगढ़	नया निर्माण	100	172.89	174.87	29.88	204.75	G+2
11	गोरखपुर	नया निर्माण	50	92.36	109.14	30.00	139.14	G+2
12	मुरादाबाद	नया निर्माण	50	84.38	145.39	29.94	175.33	G+3
13	सम्भल	नया निर्माण	69	160.91	159.18	30.00	189.18	G+2
14	बाराबंकी	नया निर्माण	100	229.48	189.225	29.94	219.165	G+2
15	वाराणसी सिकरौल मौजा जोलहा	नया निर्माण नया निर्माण नया निर्माण	50 50 50	117.35 125.35 152.68	118.64 126.64 153.96	29.22 29.22 29.22	147.86 155.86 183.18	G+2 G+2 G+2
16	बरेली	नया निर्माण	100	295.82	229.08	29.97	259.05	G+1
17	मुजफ्फरनगर	नया निर्माण	48	85.08	87.78	29.94	117.72	G+2

उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित नगर निकायों के प्रतिनिधि, कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के महाप्रबन्धक श्री ए0के0 पुरवार, एवं डूडा के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया।

3.1 सहारनपुर

3.1.1 दारा अली की चुंगी– सहारनपुर।

3.1.1.1 सहारनपुर में दारा अली की चुंगी हेतु उल्लिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण निकाय प्रतिनिधि द्वारा करते हुए अवगत कराया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सहारनपुर शहर की जनसंख्या– 705478 है।

3.1.1.2 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अन्तःवासी हेतु 50 वर्गफिट स्थान के मानक के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

3.1.1.3 अवगत कराया गया कि नया निर्माण किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी श्रेणी के पुरूषों, महिलाओं, वृद्ध तथा विकलांगों तथा फैमिली आश्रय की अलग–अलग व्यवस्था की गई है।

3.1.1.4 नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सभी आश्रयों में पर्याप्त संख्या में बाथरूम एवं शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, फस्ट एड वाक्स, खुली जगह, शिशु एवं मातृत्व कल्याण की सेवाओं के साथ ही अन्य इनटाइटिलमेंटस के लिंकेजेज हेतु विभिन्न विभागो से समन्वय कर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.1.5 अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम की लोकेशन मानकों के अनुरूप है तथा शेल्टर होम 54 व्यक्तियों हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3.1.1.6 सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव दारा अली की चुंगी के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि दारा अली की चुंगी, सहारनपुर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.1.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के लोकेशन का मैप डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 08 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.1.1.8 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का स्पष्ट

उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.1.9 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

3.1.1.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय का संचालन एवं प्रबंधन 5 वर्षो बाद शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार स्वयं के उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जायेगा"।

3.1.1.11 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर, द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 में उल्लिखित है कि दारा अली की चुंगी, सहारनपुर में मोहल्ला अलीआहंग्रान दारा अली स्थित तिकोनी भूमि खसरा नं0– 771 जिसका कुल क्षेत्रफल 667 वर्गगज में से 300 वर्गगज भूमि नगर निगम सहारनपुर द्वारा दी जाती है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.1.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त सहारनपुर के दारा अली की चुंगी से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 155.04 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना तथा वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तैयार कर नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर नगरीय निकाय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग)द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी। निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ङ). शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई का, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में दिशा निर्देशों के अनुरूप, अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व) के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(च) कब्जा प्राप्त प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ निकाय शहर प्रबंधन इकाई द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ज) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ञ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ट) प्रस्तावित शेल्टर होम के प्रस्तुत किये गये डिजाइन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला डारमेट्री की निकासी अलग से की जाये, तथा संशोधित डिजाइन शहर मिशन प्रबंधन इकाई के माध्यम से तत्काल राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दारा अली की चुंगी, सहारनपुर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.1.2 दुधली रोड– सहारनपुर।

3.1.2.1 अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम की लोकेशन मानकों के अनुरूप है तथा शेल्टर होम 54 व्यक्तियों हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3.1.2.2 सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव दुधली रोड के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि दुधली रोड, सहारनपुर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.2.3 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के लोकेशन का मैप डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 08 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.1.2.4 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध

करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.2.5 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

3.1.2.6 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय का संचालन एवं प्रबंधन 5 वर्षो बाद शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार स्वयं के उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जायेगा"।

3.1.2.7 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर, द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 में उल्लिखित है कि दुधली रोड, सहारनपुर में खसरा नं0– 409 जो कि पंचायत घर के निकट की भूमि है, तथा नयी प्रति के रूप में दर्ज है। स्थल पर 1633 वर्ग गज कुल भूमि में से 400 वर्ग गज भूमि नगर निगम सहारनपुर द्वारा दी जाती है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.6.8 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त सहारनपुर के दारा दुघली रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 148.42 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना तथा वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तैयार कर नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर नगरीय निकाय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी। निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का

विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ड़). शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई का, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व) के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(च) कब्जा प्राप्त प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ निकाय शहर प्रबंधन इकाई द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ज) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई सहारनपुर द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ञ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दुघली रोड, सहारनपुर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.2.3 सिद्धार्थनगर

3.2.3.1 सिद्धार्थनगर– नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि सिद्धार्थनगर की जनसंख्या 25422 लाख है।

3.2.3.2 नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम **वार्ड–18, सिसेनिया, सिद्धार्थनगर** में प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उक्त निकाय के जिला मुख्यालय नगर होने के उपरान्त भी वर्तमान में कोई शेल्टर होम नहीं है।

3.2.3.3 निकाय में बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत काफी संख्या में आस–पास के क्षेत्रों से लोग रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है।

3.2.3.4 शहरी बेघरों को आश्रय सुविधा दिये जाने हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं शहर कोतवाली के पास शेल्टर होम निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

3.2.3.5 शेल्टर होम के प्रस्तावित स्थल से अस्पताल लगभग 2 किमी0 की दूरी पर है तथा प्रस्तावित स्थल से आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.2.3.6 प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें लोकेशन, प्रति शहरी बेघर स्थल का मानक एवं अन्य सुविधायें मानकों के अनुरूप है।

3.2.3.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि सिद्धार्थनगर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है,

जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.2.3.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के लोकेशन का मैप डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 13 माह की समयावधि उल्लिखित है, जिसे संशोधित कर प्रस्तुतीकरण में 08 माह कर दिया गया है।

3.2.3.9 प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, लोकेशन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.2.3.10 प्रेषित डी0पी0आर0 में संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव में संलग्न व्यय पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, न ही प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफीसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

3.2.3.11 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट नहीं लगाया गया है।

3.2.3.12 प्रस्ताव में भूमि आवंटन अभिलेख एवं शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगर पालिका परिषद द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अपरिहार्य है।

3.2.3.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय सिद्धार्थनगर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 112.21 लाख योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा भूमि आवंटन अभिलेख एवं शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगर पालिका परिषद द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है।

(ङ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा सिद्धार्थनगर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.3.4 गोण्डा

3.3.4.1 गोण्डा नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गोण्डा नगर में शहरी बेघरों हेतु कोई भी शेल्टर होम उपलब्ध नहीं है। जबकि शहर में आस–पास के गांवों से काफी संख्या में लोग रोजगार आदि कार्यों हेतु आते हैं, जिन्हें विभिन्न खुले स्थानों में आश्रय लेना पड़ता है।

3.3.4.2 प्रस्तावित आश्रय गोण्डा नगर के मेवतियान मोहल्ला में फुरकानिया स्कूल के सामने प्रस्तावित किया गया है, जो कि स्थानीय बस स्टॉप से 1 किमी0 तथा अस्पताल से 1.5 किमी0 एवं रेलवे स्टेशन से 5 किमी0 की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण में सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि "शहरी बेघरों के आश्रय" हेतु शहर में 60 व्यक्तियों के लिए नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है।

3.3.4.3 प्रस्तावित स्थल के आस–पास बस स्टॉप एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के चबूतरों आदि पर काफी संख्या में रिक्शा चालक, श्रमिक आदि आश्रय लेते हैं।

3.3.4.4 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन नगर पालिका परिषद गोण्डा द्वारा शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन कर किया जायेगा।

3.3.4.5 आश्रय में रहने वालें लोगों से आंशिक किराया रूपया 5–10 लिया जाना प्रस्तावित है तथा निशक्तों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जायेगा।

3.3.4.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.3.4.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवायोजन के साथ ही, इनटाइटिलमेंटस लिंकेजेज के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.3.4.8 प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने

वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.3.4.9 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.3.4.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.3.4.11 उक्त कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा।

3.3.4.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय गोण्डा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 170.87 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित शेल्टर होम में सुरक्षा के दृष्टिगत बाउण्ड्री वाल बनाने के निर्देश दिये गये।

(ङ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा गोण्डा हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.4.5 मऊ

3.4.5.1 मऊ के प्रस्तुतीकरण में निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मऊ नगरीय निकाय की जनसंख्या 278745 है। "शहरी बेघरों के आश्रय" हेतु नगरीय निकाय में 50 व्यक्तियों के लिए नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है।.

3.4.5.2 प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल **सहादतपुरा, जो रेलवे स्टेशन के निकट है** जो शहरी बेघरों हेतु उप्युक्त एवं मानकों के अनुरूप है।

3.4.5.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर में डिजाइन, मानकों के अनुरूप की गयी है तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा एवं सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

3.4.5.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.4.5.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ ही, इनटाइटिलमेंटस लिंकेजेज के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.4.5.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.4.5.7 प्ररताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.4.5.8 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.4.5.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय मऊ से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:-**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 151.01 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य

होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(ड़) नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा भूमि आवंटन अभिलेख एवं शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर पालिका परिषद द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मऊ हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.5.6 मथुरा

3.5.6.1 नगर पालिका परिषद मथुरा हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 349909 लाख है।

3.5.6.2 अवगत कराया गया है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि है, जहां पर बहुत बड़े पौराणिक मन्दिर निर्मित हैं। यहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक दर्शन हेतु आते है।

3.5.6.3 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.5.6.4 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का विवरण के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 12 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रस्तुतीकरण में संशोधित कर 08 माह कर दिया गया है।

3.5.6.5 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.5.6.6 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.5.6.7 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.5.6.8 "उक्त कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा"।

3.5.6.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय मथुरा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 208.20 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) कब्जा प्राप्त प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ्स शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मथुरा हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.6.7 शामली

3.6.7.1 नगर पालिका परिषद शामली हेतु प्रस्तावित आश्रय उच्चीकरण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 107266 लाख है।

3.6.7.2 अवगत कराया गया है कि **उच्चीकृत किया जाने वाला भवन शहर के मुख्य प्रगति मार्केट** में स्थित है। भवन में प्रथम तल पर दुकानें हैं तथा प्रथम तल पर पूर्व में निर्मित हॉलों को उच्चीकृत कर 50 शहरी बेघरों हेतु आश्रय का प्रस्ताव है।

3.6.7.3 अवगत कराया गया कि शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित भवन शामली बस स्टेशन से लगभग 1.5 किमी0 और रेलवे स्टेशन से 1 किमी0 की दूरी पर है।

3.6.7.4 शहर का मुख्य मार्केट होने के कारण प्रस्तावित स्थल के आस–पास काफी संख्या में रिक्शा चालक एवं श्रमिक दुकान के चबूतरों पर रात में आश्रय लेते हैं।

3.6.7.5 प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य सामने आया कि उच्चीकृत किये जाने वाले आश्रय हेतु शौचालय का प्राविधान प्रथम तल पर स्थित शौचालय को उच्चीकृत कर किया जाना है।

3.6.7.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.6.7.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का विवरण के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 12 माह की समयावधि का उल्लेख के स्थान पर प्रस्तुतीकरण में

संशोधित समय सीमा 08 माह में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया।

3.6.7.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव में संलग्न व्यय विवरण पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

3.6.7.9 प्रस्तावित शेल्टर होम के उच्चीकरण के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत प्रगति मार्केट प्रथम तल विवेक विहार रेलवे स्टेशन के पास शामली के अन्तर्गत नगर पालिका द्वारा जो जो भूमि शेल्टर आवास हेतु उपलब्ध करायी गयी है, यह भूमि नगर पालिका परिषद के स्वामित्व की है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.6.7.10 प्रस्तावित उच्चीकरण किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्ष पश्चात ओ0 एण्ड एम0 का कार्य स्थानीय नगर पालिका द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा दिया गया है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.6.7.11 प्रस्तावित उच्चीकृत किये जाने वाले भवन का फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में उपलब्ध करा दिया गया है।

3.6.7.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय शामली से प्राप्त 01 उच्चीकृत किये जाने वाले कार्यो शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु उच्चीकरण निर्माण लागत धनराशि रू0 36.84 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एव उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त

उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(ध) निर्देश दिये गये कि उच्चीकृत किये जाने वाले आश्रय हेतु शौचालय की व्यवस्था प्रथम तल पर ही नियमानुसार किया जाये तथा संशोधित डिजाइन अनुपालन स्वरूप राज्य शहरी आजीविका मिशन को कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शामली हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7.8 रायबरेली

3.7.8.1 नगर पालिका परिषद रायबरेली हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 191316 लाख है। परन्तु शहर में कोई भी अस्थायी आश्रय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3.7.8.2 रायबरेली में विभिन्न इण्डस्ट्रीज में कार्य करने वाले श्रमिक, रिक्शा चालक एवं विभिन्न कार्यों से आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के आश्रय हेतु इण्डस्ट्रियल एरिया के नजदीक दोहरारा में 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्माण का प्रस्ताव हैं।

3.7.8.3 प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रस्तावित शेल्टर होम में प्रकाश (वेन्टीलेशन) आदि के दृष्टिगत डिजाइन उपयुक्त नहीं है साथ ही भूतल पर स्थित स्टोर को अन्य स्थल/उपरोक्त तलों पर बनाया जाना चाहिए।

3.7.8.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.8.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय हेतु शहर की प्रोफाइल, विवरण, लोकेशन का डिजाइन, लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस एवं आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का विवरण के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 12 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.7.8.6 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का

उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.7.8.7 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.7.8.8 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय रायबरेली से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 137.10 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षों उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ङ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) निर्देश दिये गये कि शेल्टर होम निर्माण से पूर्व शेल्टर होम की डिजाइन में प्रकाश (वेन्टीलेशन) हेतु बैठक में दिये गये निर्देश के अनुरूप संशोधन कर लें तथा स्टोर के डिजाइन में भी निर्देशानुसार संशोधन कर अनुपालन स्वरूप कार्यदायी संस्था द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से संशोधित डिजाइन उपलब्ध कराया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा रायबरेली हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.8.9 बुलन्दशहर

3.8.9.1 नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 2.30 लाख है तथा वर्तमान में शहर में कोई भी स्थायी शेल्टर होम नहीं है, जिसके दृष्टिगत शहरी बेघरों को खुले आसमान में रेलवे स्टेशन, दुकानों के चबूतरों, फुटपाथ आदि स्थलों पर रात्रि को आश्रय लेना पड़ता है।

3.8.9.2 नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त के क्रम में कराया कि शहर में मानकों के अनुरूप उपर्युक्त स्थल पर **भूतेश्वर मन्दिर, मामन रोड** में 100 व्यक्तियों के लिए नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है प्रस्तावित स्थल रोडवेज बस स्टॉप एवं रेलवे स्टेशन के समीप है।

3.8.9.3 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय जनपद– बुलन्दशहर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.8.9.4 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय का डिजाइन एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं के विवरण का उल्लेख किया गया है।

3.8.9.5 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिंकेजेज विद इन्टाइटिलमेंटस, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.8.9.6 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है, जो कि प्रस्तुतीकरण के समय उपलब्ध करा दिया गया है।

3.8.9.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.8.9.8 भूमि अभिलेख एवं 5 वर्षो उपरान्त निर्मित आश्रय के संचालन के सम्बन्ध में सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के पत्रांक–मेमो/सि0प्रो0आफि0/आ0गृह/2014–15 दिनांक 25.11.2014 द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि आश्रयगृह निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी

है। उक्त भूमि पर आश्रय गृह का निर्माण सूडा/डूडा द्वारा कराया जा रहा है। आश्रय गृह के निर्माण के 05 वर्ष के पश्चात निर्मित आश्रय गृह का रख–रखाव एवं संचालन नगर निकाय बुलन्दशहर द्वारा अपने संसाधनों द्वारा किया जायेगा।

3.8.9.9 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय बुलन्दशहर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 233.24 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट के साथ कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिंकेजेज विद इन्टाइटिलमेंटस, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण, निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ड़) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(छ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बुलन्दशहर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.9.10 महोबा

3.9.10.1 नगर पालिका परिषद महोबा हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 95216 लाख है।

3.9.10.2 महोबा के प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि "शहरी बेघरों के आश्रय" हेतु शहर में 50 व्यक्तियों के लिए **नये आश्रय निर्माण का रथ रोड, नवोदय विद्यालय के पास** किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3.9.10.3 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल बस अड्डे से लगभग 3 किमी0 और रेलवे स्टेशन से 1 किमी0 की दूरी पर है, जहां से यातायात की सुविधा उपलब्ध है तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त स्थल है।

3.9.10.4 शहर में काफी संख्या में रोजगार एवं अन्य कारणों से आस पास के लोग शहर में आते हैं। जिनके आश्रय की समस्या होती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु शेल्टर होम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3.9.10.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.9.10.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहर का प्रोफाइल एवं मैप, आश्रय में उपलब्ध करायी ज़ाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.9.10.7 प्रस्ताव में उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.9.10.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सं0– 09/न0पा0प0–महोबा/2014–15 दिनांक– 21.01.2015 में उल्लिखित है कि शहरी गरीबों के लिए आश्रय की योजना के अन्तर्गत महोबा में गाटा संख्या– 2569/2 रकबा 1.416 हेक्टेयर चिन्हित कर ली गयी थी। उक्त भूमि में से 0.20 हेक्टेयर भूमि शेल्टर हाउस के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

3.9.10.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सं0– 08/न0पा0प0–महोबा/ 2014–15 दिनांक– 21.01.2015 में उल्लिखित है कि 5 वर्षों के उपरान्त शेल्टर होम का संचालन अपने संसाधनों से किया जायेगा।

3.9.10.10 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय महोबा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 175.01 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी, वार चार्ट एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य

शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ड़) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(छ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा महोबा हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.10.11 प्रतापगढ़

3.10.11.1 नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 76133 है।

3.10.11.2 प्रतापगढ़ में शहरी बेघरों हेतु स्थाई आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि नगर के जिला मुख्यालय होने के कारण काफी संख्या में आस–पास के क्षेत्रों से रिक्शा चालक श्रमिक आदि रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु शहर में आते हैं। जिनके आश्रय की समस्या होती है तथा वे लोग विभिन्न खुले स्थलों पर रात्रि में आश्रय लेते हैं।

3.10.11.3 शहरी बेघरों के आश्रय की समस्या समाधान हेतु प्रतापगढ़ में **विकास नगर, जेल तिराहे के पास रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डे के नजदीक** शहर के मध्य में 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम का प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुरूप मानकों के अनुसार है।

3.10.11.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में

बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.10.11.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहरी की प्रोफाइल, आश्रय का लोकेशन एवं मैप, आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 18 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.10.11.6 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

3.10.11.7 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.10.11.8 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.10.11.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय प्रतापगढ़ से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:-**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 174.87 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी, वार चार्ट एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था वस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई के हस्ताक्षर के साथ ही सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त पुनः उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।

(ङ) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ञ) प्रस्तावित शेल्टर होम के प्रस्तुत किये गये डिजाइन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि शेल्टर होम में प्रस्तावित क्लीनिक को भूतल पर डिजाइन संशोधित कर बनाया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रतापगढ़ हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.11.12 गोरखपुर

3.11.12.1 नगर पालिका परिषद गोरखपुर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 673446 लाख है।

3.11.12.2 अवगत कराया गया है कि गोरखपुर नगर पूर्वांचल क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर है। जहां आस-पास के जनपदों एवं क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग रोजगार शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न कार्यो हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या का सामना करना पड़ता है।

3.11.12.3 गोरखपुर नगर में वर्तमान में 140 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु 07 स्थाई शेल्टर होम संचालित किये जा रहे हैं, जो कि शहर में विभिन्न स्थलों पर आश्रय लेने वाले शहरी बेघरों के अनुपात में क्षमता काफी कम है, जिसके दृष्टिगत 50 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्रस्तावित योजना दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।

3.11.12.4 प्रस्तावित शेल्टर होम रेलवे स्टेशन से लगभग 03 किमी0, बस स्टॉप से 2.5 किमी0 एवं तहसील मुख्यालय से 01 किमी0 की दूरी पर शहर के मध्य में **वार्ड सं0- 31 में गोरखनाथ मन्दिर के समीप है।** पूर्वांचल में गोरखनाथ मन्दिर के पास वर्ष में कई मेले का आयोजन किया जाता हैं, जिसमें से खिचड़ी मेला महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है, जिसमें 15-20 जनपदों के श्रद्धालु आते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित स्थल शहरी बेघरों के लिए उपयुक्त है।

3.11.12.5 प्रस्तावित शेल्टर होम की निकासी का रास्ता कानपुर, प्रतापगढ़ हाईवे की तरफ है, जो कि शहरी बेघरो के लिए उप्युक्त स्थल है, तथा विभिन्न स्थलों के लिए यहां से आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.11.12.6 प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण कार्य 08 माह में पूर्ण किये जाने की समय रेखा प्रस्तुत की गयी।

3.11.12.7 नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शेल्टर प्रबंधन समिति का गठन आगामी 02 माहों में कर लिया जायेगा।

3.11.12.8 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.11.12.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ शहर की प्रोफाइल, आश्रय का लोकेशन एवं मैप, आश्रय में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस के साथ ही निर्माण कार्य हेतु 08 माह की समयावधि का उल्लेख किया गया है।

3.11.12.10 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.11.12.11 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3.11.12.12 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर के पत्रांक सं0–456/न0नि0गो0/2014–15 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत वार्ड सं0–31 शाहपुर में वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास के पास नगर निगम गोरखपुर के स्वामित्व की भूमि में 328 वर्गमीटर भूमि शहरी बेघरों के लिए शेल्टर बनाये जाने के लिए आवंटित किया जाता है।

3.11.12.13 नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर के पत्रांक सं0–455/न0नि0गो0/2014–15 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि रैन बसेरे का 05 वर्षो बाद संचालन एवं मरम्मत का कार्य नगर निगम गोरखपुर द्वारा अपने संसाधनो से किया जायेगा।

3.11.12.14 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय गोरखपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 109.14 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी, विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था

सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में बृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ड़) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा गोरखपुर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.12.13 मुरादाबाद

3.12.13.1 नगर निगम मुरादाबाद हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से मशहूर है।

3.12.13.2 अवगत कराया गया कि मुरादाबाद के पीतल नगरी होने एवं विभिन्न नक्काशी के बर्तनों के उद्योग के लिए मशहूर शहर होने के दृष्टिगत काफी संख्या में कारीगर, मजदूर, रिक्शा चालक रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं। जिन्हें पर्याप्त आश्रय की सुविधा न होने के कारण खुले आसमान के नीचे विभिन्न स्थलों रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फुटपाथ, हयूम पाइप, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के चबूतरों पर आश्रय लेना पड़ता है।

3.12.13.3 नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगर निगम मुरादाबाद मे 210 शहरी बेघरों हेतु 7 शेल्टर होम संचालित किये जा रहे हैं, जो कि शहर में रह रहे शहरी बेघरों के अनुपात में काफी कम है।

3.12.13.4 उक्त कमी के दृष्टिगत 50 शहरी बेघरों हेतु योजना के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

3.12.13.5 प्रस्तावित शेल्टर होम रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन के समीप है तथा प्रस्तावित स्थल से विभिन्न स्थलों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.12.13.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.12.13.7 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.12.13.8 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.12.13.9 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.12.13.10 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव में निर्माण अवधि का उल्लेख है।

3.12.13.11 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन एवं 5 वर्षो बाद आश्रय का संचालन नगर निगम द्वारा अपने श्रोतों से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है न ही निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट लगाया गया है।

3.12.13.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मुरादाबाद से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 145.39 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य

शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) कब्जा प्राप्त प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ्स तत्काल उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है।

(ड़) निर्देश दिये गये कि विकलांगों हेतु प्रस्तावित डारमेट्री को भूतल पर लाया जाये एवं निर्देश दिये गये कि आश्रय की पुरानी बिल्डिंग को निर्मित किये जाने वाले आश्रय से जोड़कर संघटित कर लिया जाये, जिससे संचालन व्यवस्था में आसानी हो सके।

(च.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(छ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ज) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ञ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मुरादाबाद हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.13.14 चन्दौसी–सम्भल

3.13.14.1 नगर पालिका परिषद चन्दौसी सम्भल हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि जनगणना– 2011 के अनुसार

निकाय की जनसंख्या– 1.14 लाख हैं। परन्तु निकाय में शहरी बेघरों हेतु स्थाई शेल्टर होम नहीं है।

3.13.14.2 चन्दौसी–सम्भल में काफी संख्या में कामगार विभिन्न रोजगार हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें शेल्टर की समस्या होती है। कामगारों के समस्या समाधान हेतु एवं उन्हें आश्रय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चन्दौसी–सम्भल में 69 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.13.14.3 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन के समीप शहर के मध्य में प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.13.14.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.13.14.5 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया है कि संचालन व्यवस्था हेतु रू0 8.16 लाख प्रति वर्ष की दर से रू0 40.80 लाख प्रस्तावित किया गया था, जिसे परीक्षण समिति द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में 30 लाख के स्वीकृति की संस्तुति की गयी है।

3.13.14.6 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.13.14.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.13.14.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.13.14.9 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.13.14.10 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.13.14.11 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.13.14.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद चन्दौसी–सम्भल से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 159.18 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) निर्देश दिये गये कि संचालन व्यवस्था हेतु वास्तविक व्यय का आंकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये साथ ही योजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक संचालन व्यवस्था पर व्यय प्रस्तावित होने की दशा में प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि उक्त अतिरिक्त धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय की जायेगी।

(ड.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा चन्दौसी–सम्भल हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.14.15 नवाबगंज– बाराबंकी

3.14.15.1 नगर पालिका परिषद नवाबगंज–बाराबंकी हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि शहर की जनसंख्या– लगभग 82000 है तथा शहर के राजधानी के निकट स्थित होने के कारण आस–पास के क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य कार्यों हेतु काफी संख्या में लोग शहर में आते हैं।

3.14.15.2 बाराबंकी जनपद के नगरीय निकायों में हैण्डलूम का कार्य किया जाता है, जिसके दृष्टिगत इस उद्योग से जुड़े कामगार कच्चे माल आदि के लिए शहर में आते हैं तथा शहर में पर्याप्त संख्या में बेघरों हेतु आश्रय न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3.14.15.3 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन से 02 किमी0 की दूरी पर कोतवाली रोड, पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, जो कि शहर के मध्य में है तथा प्रस्तावित स्थल से शहर के विभिन्न भागों में आने जाने हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.14.15.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.14.15.5 अगवत कराया गया है कि प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.14.15.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.14.15.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.14.15.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव में संलग्न व्यय पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

3.14.15.9 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट नहीं लगाया गया है।

3.14.15.10 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी के पत्रांक–मेमो/एस0यू0एच0/2014–15 दिनांक 17.12.2014 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि शहरी बेघरों के आश्रय योजनान्तर्गत आश्रय निर्माण हेतु मोहल्ला बेगमगंज में एरिया 7,920 वर्गफिट नजूल भूमि खसरा नं0–21 व 22 मिन बड़ेल प्रस्तावित की गयी है। जो नजूल विभाग की है तथा राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है।

3.14.15.11 उक्त के साथ ही उल्लिखित प्रमाण पत्र में आश्रय का 5 वर्ष बाद संचालन व रखरखाव नगर पालिका परिषद नवाबगंज–बाराबंकी द्वारा किया जायेगा का उल्लेख है।

3.14.15.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निकाय नवाबगंज–बाराबंकी से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 189.225 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार. चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ङ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(छ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज) निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में शौचालय एवं किचेन सभी तलों पर एक निर्धारित साइड पर ही निर्मित किये जायें।

(झ) प्रेषित डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि डी0पी0आर0 पर सिटी प्रोजेक्ट आफिसर एवं अन्य सक्षम स्तरों से हस्ताक्षरित कराकर पुनः प्रेषित किया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बाराबंकी हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.15.16 वाराणसी

3.15.16.1 नगर निगम वाराणसी–सिकरौल हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार वाराणसी शहर की जनसंख्या– 11.98 लाख है।

3.15.16.2 वाराणसी शहर धार्मिक एवं पर्यटन हेतु मशहूर है, जहां देश–विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालू एवं पर्यटक आते हैं।

3.15.16.3 शहर बनारसी साड़ियों के लिए विख्यात है। बनारसी साड़ी उद्योग में काफी संख्या में कामगार रोजगार हेतु आस पास के क्षेत्रों से आते हैं। साथ ही वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय होने के फलस्वरूप शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी काफी संख्या में लोग विभिन्न क्षेत्रों/प्रान्तों एवं विदेशों से आते हैं।

3.15.16.4 वर्तमान में वाराणसी में 254 शहरी बेघरों हेतु 12 शेल्टर होम संचालित है, जो कि शहर में उपलब्ध शहरी बेघरों के अनुपात में काफी कम है।

3.15.16.5 अवगत कराया गया कि शहर में शहरी बेघरों हेतु आश्रय की समस्या को कम करने के दृष्टिगत 50–50 शहरी बेघरों हेतु तीन शेल्टर होम के निर्माण का प्रस्ताव है।

3.15.16.1 सिकरौल

3.15.16.1.1 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम कलेक्ट्रेट से 1.5 किमी0 की दूरी पर लेबर चौराहे के पास सिकरौल में निर्मित किया जाना है।

3.15.16.1.2 प्रस्तावित स्थल से रेलवे एवं बस स्टेशन की दूरी लगभग 5 किमी0 तथा अस्पताल की दूरी 3 किमी0 है, तथा प्रस्तावित स्थल से शहर के विभिन्न भागों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.15.16.1.3 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.15.16.1.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.16.1.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.16.1.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.16.1.7 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय के प्रकार, संचालन रणनीति एव व्यवस्था, लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.15.16.1.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है न ही निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट लगाया गया है।

3.15.16.1.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.15.16.1.10 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम वाराणसी के सिकरौल से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 118.64 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी, बार चार्ट एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(घ.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ड़) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित कम्प्यूटर रूम को कॉमन रूम कर लें, तथा सिक्योरिटी रूम को काउंसलर रूम में परिवर्तित कर यथा निर्देशित डिजाइन को कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित कर सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा सिकरौल–वाराणसी हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.15.17 वाराणसी – मौजा

3.15.17.1 नगर निगम वाराणसी–मौजा हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि वाराणसी–मौजा नगरीय निकाय कार्पेट उद्योग के लिए विख्यात है, जहां काफी संख्या में कामगार कार्पेट उद्योग में रोजगार हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें शेल्टर की समस्या होती है। कामगारों के समस्या समाधान हेतु एवं उन्हें आश्रय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वाराणसी– मौजा में 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.15.17.2 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय एवं अस्पताल के समीप है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.15.17.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के अस्पताल के समीप होने के दृष्टिगति काफी संख्या में लोग इलाज हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं। जिन्हें प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण से आश्रय की सुविधा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

3.15.17.4 प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में अगवत कराया गया कि उक्त स्थल पर नगर निगम एवं बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के मध्य भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद है जिसका निपटारा शीघ्र कर लिया जायेगा।

3.15.17.5 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.15.17.6 अगवत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.17.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.17.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.17.9 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख सुचारू रूप से नहीं किया गया है।

3.15.17.10 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.15.17.11 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना अपरिहार्य है।

3.15.17.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम वाराणसी के मौजा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क) निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 126.64 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी, बार चार्ट एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिंकेजेज विद इंटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु

नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ड़) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित कम्प्यूटर रूम को कॉमन रूम कर लें, तथा सिक्योरिटी रूम को काउंसलर रूम में परिवर्तित कर यथा निर्देशित डिजाइन को कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित कर सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मौजा–वाराणसी हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि भूमि विवाद का निपटारा तत्काल नगर निगम द्वारा कराकर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को अनुपालन स्वरूप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जायें। भूमि विवाद के निपटारे के दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही राज्य मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रथम किश्त की जायेगी।

3.15.18 वाराणसी – जोलहा टोला

3.15.18.1 नगर निगम वाराणसी–जोलहा हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि वाराणसी–जोलहा में 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.15.18.2 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम जोलहा– टोला में निर्मित किया जाना है, जहां काफी संख्या में आस–पास के क्षेत्रों से कामगार बुनकर बनारसी साड़ी उद्योग में कार्य हेतु आते हैं। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.15.18.3 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.15.18.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.15.18.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.15.18.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.15.18.7 प्रस्ताव में निर्माण कार्य की अवधि, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

3.15.18.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.15.18.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम वाराणसी से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क) निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 153.96 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना तथा वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तैयार कर नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग)द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी। निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का

विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ड.) प्रस्तावित स्थल के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख के साथ ही 5 वर्षो उपरान्त आश्रय का संचालन नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का स्पष्ट प्रमाण पत्र निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को तत्काल उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(च). शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव में निर्माण कार्य की अवधि, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व) के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तुत व्यय विवरण का सक्षम स्तर से दिशा निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराना अपरिहार्य हो गया, जिसके उपरांत ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(छ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ज) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ञ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ट) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित कम्प्यूटर रूम को कॉमन रूम कर लें, तथा सिक्योरिटी रूम को काउंसलर रूम में परिवर्तित कर यथा निर्देशित डिजाइन को कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित कर सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराया जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा जोलहा–वाराणसी हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.16.19 बरेली

3.16.19.1 नगर निगम बरेली हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया। बरेली में 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। बरेली वुडेन हस्तकला के लिए विख्यात है, जिसके कारण शहर में काफी संख्या में कामगार तथा श्रमिक रोजगार हेतु आते हैं, जिन्हें शेल्टर की समस्या होती है।

3.16.19.2 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन से 02 किमी0 एवं रेलवे स्टेशन से 03 किमी0 की दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.16.19.3 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.16.19.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.16.19.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम मे बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.16.19.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.16.19.7 आश्रय के निर्माण हेतु प्रस्तुतीकरण में 09 माह के समय सीमा प्रस्तुत की गई।

3.16.19.8 प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने बालो हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव में संलग्न व्यय विवरण पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि शेल्टर होम का संचालन एवं रखरखाव नगर निगम द्वारा किया जाना है।

3.16.19.9 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि खसरा संख्या– 273 खलियान रकबा 2200 वर्गमी0 की भूमि शहरी बेघरों के लिए आश्रय हेतु आमंत्रित की जाती है, जो नगर निगम सीमा तथा नगर निगम के स्वामित्व में है तथा आश्रय हेतु उपयोगी है।

3.16.19.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किया जायेगा।

3.16.19.11 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम बरेली से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 229.08 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ड़) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित शेल्टर होम की खिड़कियों में कुण्डा के स्थान पर सिटकनी लगायी जाये।

(छ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बरेली हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.17.20 **मुजफ्फरनगर**

3.17.20.1 नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर में वर्तमान में कोई भी शेल्टर होम नहीं है जबकि काफी संख्या में श्रमिक रिक्शा चालक आदि को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है।

3.17.20.2 अवगत कराया गया कि शहरी बेघरों को आश्रय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुजफ्फरनगर में 48 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.17.20.3 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर निर्मित किया जाना है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.17.20.4 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचेन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।

3.17.20.5 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.17.20.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.17.20.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ प्रस्तावित आश्रय के प्रस्ताव में शहर का प्रोफाइल, लोकेशन, आश्रय में उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधायें एवं सेवायें, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का उल्लेख किया गया है।

3.17.20.8 प्रस्ताव में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तागत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.17.20.9 प्रस्तावित शेल्टर होम के भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उल्लेख है कि "रैन बसेरे का निर्माण रेलवे स्टेशन गेट के उत्तर के दिशा में जो स्थान खाली है, इस स्थान पर पूर्व में काफी पुरानी दुकाने भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कर बनाई गई थीं जिसको नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से हटा दी गयीं थीं जो अब खाली है उक्त स्थान सड़क का भाग है। बेघर व्यक्ति के ठहरने हेतु सुविधाजनक स्थान है क्योंकि रेलवे स्टेशन निकट है।"

3.17.20.10 प्रस्तावित आश्रय के पांच वर्षो उपरान्त संचालन हेतु उल्लेख है कि 5 वर्ष बाद अनुरक्षण नगर पालिका परिषद, मुजफ्फर नगर के द्वारा किया जायेगा का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

3.17.20.11 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 87.78 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण, निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि की जायेगी।

(घ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ङ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, जो नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगरीय निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(छ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरीय निकाय/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज) निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित 48 शहरी बेघरों हेतु निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम की क्षमता संशोधित कर 50 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्मित किया जाये।

(झ) निर्देश दिये गये है कि प्रस्तावित किचेन में से एक किचेन को कम किया जाय, सिक्योरिटी आफिस नीचे लाया जाये, स्टोर ऊपर किया जाय तथा निर्देशानुसार संशोधित डिजाइन अनुपालन स्वरूप कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से एस0एम0एम0यू0 में तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मुजफ्फरनगर हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

4 आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश सभी निकायों को दिये गये:-

4.1 प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एव 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

4.2 कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को

कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

4.3 शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

4.4 निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

4.5 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में उल्लेख किया जाये।

4.6 आश्रय संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही गाइडलाइन के अनुसार आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व संचालन व्यवस्था प्रबन्धन समिति का गठन, उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

4.7 निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.8 प्रत्येक शहर निकाय हेतु स्वीकृति का संक्षिप्त चार्ट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है।

4.9 निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अनुमोदन अवश्य करा लिया जाये।

4.10 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

4.11 निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4.12 परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

4.13 निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।

4.14 निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित शेल्टर होम की खिड़कियों में कुण्डा के स्थान पर सिटकनी लगायी जाये।

4.15 निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव/मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)

नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक- 4498/241/NULM/2014-15(SUH) दिनांक- 11/2/15

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
12. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा- सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, मऊ, मथुरा, शामली, रायबरेली, बुलंदशहर, महोबा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सम्भल, बाराबंकी, वाराणसी, बरेली एवं मुजफ्फरनगर।
13. अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
14. संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
15. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर।
16. परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
17. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सिद्धार्थनगर, गोण्डा, मऊ, मथुरा, शामली, रायबरेली, बुलंदशहर, महोबा, प्रतापगढ़, सम्भल, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर।

18. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, मऊ, मथुरा, शामली, रायबरेली, बुलंदशहर, महोबा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सम्भल, बाराबंकी, वाराणसी, बरेली एवं मुजफ्फरनगर।

19. परियोजना अधिकारी, डूडा– सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, मऊ, मथुरा, शामली, रायबरेली, बुलंदशहर, महोबा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सम्भल, बाराबंकी, वाराणसी, बरेली एवं मुजफ्फरनगर।

20. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

19/2/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)

मिशन निदेशक

Annexure I

To the Minutes of 5th State Project Sanction Committee meeting dated 23-01-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Saharanpur-Dudhli Road, Distt-Saharanpur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Dulahi Road, Saharanpur Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 54 person including Seperate Hall for homeless Woman, Man & Families at different floor to provide more private & secure space for woman & children, Open space as verandah at ground floor, ladies kitchen near ladies dormitory, one common dinning hall with separate kitchen, Security Guard room at the entrance, Attached toilet/Bath area with the dormitory, bedding facility, Community space, Children play area, Yoga room, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms	9 months	01.03.15	148.42	111.32	37.11	59.368
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% of Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Toal (A+B)			178.36	133.770	44.590	59.368

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Saharanpur Dara ali ki chungi Distt-Saharanpur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Dara Ali ki chungi, Saharanpur Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 54 person including Seperate Hall for homeless Woman, Man & Families at different floor to provide more private & secure space for woman & children, Open space as verandah at ground floor, ladies kitchen near ladies dormitory, one common dinning hall with separate kitchen, Security Guard room at the entrance, Attached toilet/Bath area with the dormitory, bedding facility, Community space, Children play area, Yoga room Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	155.04	116.28	38.76	62.016
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.	-		29.94	22.455	7.485	2.395 (40% of Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**184.98**	**126.578**	**42.193**	**62.016**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sidharthnagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Sidharthnagar Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Common room for entertainment. First aid, fire fighting, cost of kitchen utensils, furniture, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	112.21	84.1575	28.0525	44.884
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6 lac per year for 5 year.			30	22.5	7.5	2.40 (40% of Rs 6 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**142.21**	**106.66**	**17.55**	**44.889**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Gonda	A. Implementation of SUH Project under NULM at in front of Furkaniya School, Gonda Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 60 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Common room for entertainment, first aid, fire fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	170.87	128.1525	42.7175	68.348
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**200.81**	**150.6075**	**50.2025**	**68.348**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Mau	A. Implementation of SUH Project under NULM at Mau Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Toilet, First Aid, Fire Fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	151.01	113.2575	37.7525	60.404
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6 lac per year for 5 year.			30	22.5	7.5	2.40 (40% Rs 6 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**181.01**	**135.76**	**45.25**	**60.404**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mathura	A. Implementation of SUH Project under NULM at Mathura Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person including Male dorms, Female dorms, Family shelters, Security room, Office, Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Dining Hall, Toilets, Toilet for Physically Handicapped, Common Room, Clinic, Counselor/NGO Room, Children play room, computer roomAlmirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	208.2	156.15	52.05	83.28
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		A+B			**238.14**	**178.605**	**59.535**	**83.28**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Shamli	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Shamli, Near-Railway Station Up Gradation (G+1) with the capacity of 50 person including Dormitory- Male- for 31 Nos, Dormitory- Female- for 19 Nos, office, kitchen & store, water supply & sanitary works, internal electrification works, Renovation of Existing Toilet Block, Supply items like Pot Accessories, Cooler, Wooden Chair, Table, Commercial Gas, Extra Gas Cylender, Misc Pot, Wooden Bed including Matress, Blankets, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	36.84	27.63	9.21	14.736
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**66.78**	**50.085**	**16.695**	**14.736**

S.No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Raebareli	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Raebarely - Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, First aid, Fire fighting etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	137.1	102.825	34.275	54.84
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**167.04**	**125.28**	**41.76**	**54.84**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Bulandshahar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Bulandshahar Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person including A female dormitory of 14 persons with separate ladies kitchenand attached toilet, 4 male dormitories of 74 persons each with attached toilet, 4 family rooms and 2 sick rooms, of 3 person each, a dinning hall with kitchen and store. some provisions like community space, children play area, store, counselor room has been taken in the design as well Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	233.24	174.93	58.31	93.296
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6 lac per year for 5 year.			30	22.5	7.5	2.40 (40% Rs 6 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**263.24**	**197.43**	**65.81**	**93.296**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Mahoba	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Mahoba Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 50 person including Provision of furniture for 50 bed, Kitchen appliances, Internal water supply, Internal electrification, External water supply & sewerage works, Fire fighting works, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms	8 months	01.03.15	175.01	131.2575	43.7525	70.004
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
					204.95	**153.7125**	**51.2375**	70.004
		Total (A+B)						

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1[st] Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pratapgarh	A. Implementation of SUH Project under NULM at Pratapgarh Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, First aid, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	174.87	131.1525	43.7175	69.948
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.976 lac per year for 5 year.			29.88	22.41	7.47	2.391 (40% Rs 5.976 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**204.75**	**153.5625**	**51.1875**	**69.948**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Gorakhpur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Gorakhpur- Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, common room for entertainment, first aid, fire fighting, cost of kitchen utensils, furniture, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms	8 months	01.03.15	109.14	81.855	27.285	43.656
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			30	22.5	7.5	2.40 (40% Rs 6 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**139.14**	**104.355**	**34.785**	**43.656**

S No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Moradabad	A. Implementation of SUH Project under NULM at Moradabad Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical facilities, Family room, Handicapped toilet, Fire fighting, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	145.39	109.0425	36.3475	58.156
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**175.33**	**131.4975**	**53.04**	**58.156**

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1[st] Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sambhal	A. Implementation of SUH Project under NULM at Sambhal Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 69 person including Bedding, Light, Kitchen, Bathroom and Toilet, Medical facilities, Family room, Handicapped toilet, fire fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	159.18	119.385	39.795	63.672
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30	22.5	7.5	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			189.18	141.885	47.295	63.672

S.N.	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Nawabganj-Barabanki	A. Implementation of SUH Project under NULM at Barabanki Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person including A 100 Bedded dorms, Divided in to three floors, Fresh Drinking water, Electricity, Kitchen, Toilet, Common room, First aid Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms	9 months	01.03.15	189.225	141.9188	47.3063	75.69
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**219.165**	**164.3738**	**54.7913**	75.69

S No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Varanasi Sikraul Distt Varanasi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Sikraul-Varanasi Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Common room for entertainment, First aid, Fire fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	118.64	88.98	29.66	47.456
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.84 lac per year for 5 year.			29.22	21.92	7.305	2.34 (40% Rs 5.84) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			147.86	110.89	39.96	47.456

S. No.	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Varanasi Mauja Distt Varanasi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Mauja-Varanasi Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Common room for entertainment, First aid, Fire fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	126.64	94.98	31.66	50.656
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.84 lac per year for 5 year.			29.22	21.92	7.305	2.34 (40% Rs5.84) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			155.86	116.895	38.965	**50.656 (Conditional sanctioned, fund will be released after full filling the condition mentioned in proceeding.)**

S. N	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Varanasi Jolaha Distt Varanasi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Jolaha-Varanasi Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom and toilet, Common room for entertainment, First aid, Fire fighting Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	153.96	115.47	38.49	61.584
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.84 lac per year for 5 year.			29.22	21.92	7.305	2.34 (40% Rs 5.84) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**183.18**	**137.39**	**45.795**	**61.584**

S N	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Bareily	A. Implementation of SUH Project under NULM at Bareily Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person including Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Toilet, Common Room for entertainment, First aid Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 months	01.03.15	229.08	171.81	57.27	91.632
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.97	22.48	7.49	2.397 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			259.05	194.29	64.76	91.632

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Muzaffarnagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Muzaffarnagar Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 48 person including Separate Hall for homeless Woman, Man & Families at different floor to provide more private & secure space for woman & children. Open Space as verandah at ground floor, Ladies kitchen near ladies dormitory, one common dining hall with separate kitchen, Security guard room at the entrance, Attached toilet/Bath area with the dormitory, Bedding facility, Health care facility, Community space, Children Play area, Yoga room, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 months	01.03.15	87.78	65.835	21.945	35.112
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.99 lac per year for 5 year.			29.94	22.455	7.485	2.395 (40% Rs 5.99) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			117.72	88.29	29.43	35.112